IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

WRIT PETITION NO. 1329 (MS) OF 2001

(Old No. 48587/2000)

Regional Manager U.P. State Road Transport Corporation, Dehradun Region, Dehradun. .....Petitioner.

Versus

1. Arbind Kumar Maurya, S/o Amra Singh Maurya, R/o Rampur Tiraha, Muzaffarnagar,
2. Presiding Officer, Labour Court, Dehradun.

.....Respondents.

Dated: 26.04.2006

Hon'ble Rajesh Tandon, J.

Heard Learned Standing Counsel for the State.

By the present writ petition, the petitioner has prayed for a writ of certiorari quashing the award dated 14th June, 2000 published on 6th July, 2001 in Adjudication Case No. 125 of 1998.

Briefly stated, the respondent no. 1 was appointed on daily wage on 01.08.1998 on the post of Conductor. A charge sheet was issued to him on 25.08.1992 and a reply was filed by him in his defend, but the same was found unsatisfactory. A domestic inquiry was directed to be made and on 12.02.1993 an independent enquiry officer (Assistant Regional Manager-Kotdwar) was appointed to conduct the same.

On 12.03.1994, enquiry officer submitted his report to the petitioner, in which charges were found proved against the respondent no.1. On 22.04.1994, petitioner issued a show cause notice to the respondent no. 1 asking reply within fifteen

days on the proposed punishment. In pursuance of the said show cause notice, the respondent no. 1 submitted his reply on 03.06.1994. On 31.10.1994, the service of the respondent no.1. was terminated.

Aggrieved by the aforesaid termination order, respondent no. 1 raised an industrial dispute, in which it has been observed by the Labour Court that the termination of the service of the respondent no.1 is too harsh and therefore, the Labour Court has passed the order of punishment by stopping one increment and was given 25 percent of the backwages. However, the petitioner has been reinstated.

Findings of the Labour Court are quoted below:-

"जॉच अधिकारी की ऐसी कोई टिप्पणी या वादी श्रमिक द्वारा की गई जिरह जॉच कार्यवाही में अंकित नहीं है। सभी आरोपों से संबंधित निरीक्षकों के बयान हो जाने के बाद जॉच अधिकारी ने उसी दिन जाँच कार्यवाही पूर्ण की दी व वादी श्रमिक से यह नहीं पूछा कि वह अपने बचाव में कोई साक्ष्य देना चाहेगा या नहीं और अपनी जाँच आख्या क्षेत्रीय प्रबन्धक को भेज दी। अपनी जाँच आख्या में उन्होंने आरोप सं0 3, 6 व 10 से वादी श्रमिक को संबंधित नही पाया व आरोप सं0 2, 4 व 18 में वादी श्रमिक की केवल लापरवाही पाई। आरोप सं0 13 के बारे में जाँच अधिकारी का यह लिखना कि वादी श्रमिक को यात्री से लिखित बयान ले लेना चाहिए था उचित नही है क्योंकि यह दायित्व सेवायोजन पक्ष का था। आरोप सं0 18 के संबंध में जाँच अधिकारी ने माना कि बस ओवर लोड थी क्योंकि उसमें 54 यात्री थे। यही बात आरोप सं0 2, 8, 9 व 13 के संबंध में भी है जब बस ओवरलोड थी। जाँच अधिकारी ने आपने निष्कर्ष में कहीं यह नहीं लिखा है कि बिना टिकट यात्री पाए जाने वाले आरोपों में वादी श्रमिक की कोई बदनीयती थी या उसने यात्रीयों से किराया लेकर उसको हड़प लिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी श्रमिक सेवा में मई 91 से ही नया लगा था और पहली दूसरी बार उसकी लापरवाही पाए जाने पर उसे कोई चेतावनी या लघु दण्ड नहीं दिया गया तथा मई 91 से जनवरी 92 की अवधि की भिन्न तिथियों को हुए निरीक्षणों पर एक लाभ एक ही आरोप पत्र दिया जिसमें कतिपय तिथियों से संबंधित

आरोपों का उससे संबंध ही नहीं था और आरोप सं0 10 व 13 में बिना टिकट यात्री क्रमशः दो बच्चे व एक बच्चा था।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में वादी श्रमिक को दिया गया दण्ड आरोपों की गम्भीरता के समानुपातिक नही है व अत्यधिक कठोर है। मा0 उच्च न्यायालय कर्नाटक ने कर्नाटक राज्य सड़क परि0 निगम बनाम शिवकुमार में दि0 8–10–98 के निर्णय में ऐसे मामलों में सेवा समाप्ति के दण्ड को अत्यधिक कठोर बताया है [एफ एल आर 1999 वाल्यूम –83 पार्ट 2]

अतः में अभिनिर्णय देता हूँ कि सेवायोजकों द्वारा अपने श्रमिक अरविन्द कुमार मौर्या, परिचालक की सेवायें दि0 31–10–94 से समाप्त किया जाना अत्यन्त कठोर दण्ड होने के कारण अनुचित व अवैधानिक है व इसके स्थान पर उसकी एक वेतन वृद्धि भविष्यगामी प्रभाव के साथ रोकने का दण्ड दिया जाता है। इस दण्ड के साथ उसे सेवा में पुर्नस्थापित किया जाय व पिछली अवधि का 25 प्रतिशत वेतन दिया जाय।"

I find no illegality in the order passed by the Labour Court so as to interfere under Article 226 of the Constitution of India.

Writ petition is devoid of merit and is dismissed. No order as to costs.

(Rajesh Tandon, J.)

26.04.2006
Rathour